न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 41/2018

बउनवान

रामलीला पत्नी गजानन्द जाति–मीणा निवासी–सुन्दलक जाति–मीणा तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्धाज, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय दिनांक– 01.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बंजर पर अतिक्रमी मानकर 90/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास [illegible] दंडित किया गया है।

[illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त [illegible] कोई कब्जा नहीं रहा है। यदि अधीनस्थ न्यायालय काल्पनिक [illegible] है तो अपीलांट मौके से कब्जा छोड चुका है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं दिया है, अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील [illegible] की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2014 [illegible]।

[illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1698/10 निर्णय दिनांक 07.01.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस [illegible] दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से [illegible] व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। [illegible] के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ [illegible] है।

परिणामस्वरूप, [illegible] आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, [illegible] बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ [illegible] प्रकरण संख्या 217/14 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग पेश [illegible] कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार [illegible] छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां [illegible] दिनांक 25.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा [illegible] अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2014 यथावत रहेगा।

सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 01.11.2018 को [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(डी0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)